

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

49/2022/प्रा.पत्र/2022

तारीख दायरा

01.07.2022

सुरेश चौधरी

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

20.06.2024

डॉ. मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, टोंक

बनाम

.....प्रार्थी

1-श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री निहाल चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन एन्टरप्राइजेज
सबील शाह की चौकी कोटा रोड टोंक जिला टोंक (राज0) निवासी सबील शाह की चौकी
कोटा रोड टोंक जिला टोंक राज0। पिनकोड-304001

2-श्री शान्ति लाल पुरोहित पुत्र श्री जुवारिंग पुरोहित नॉमिनी मैसर्स जे.पी. फूडस सी-184
रोड नं0 9 वीकेआई एरिया जयपुर राज0। पिनकोड-302013 निवासी 26/489 हिरन मंगरी
सेक्टर-6, जे.पी.फूडस उदयपुर राज0। पिनकोड-313001

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 20.06.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 09.03.2022 को समय 12:41 पीएम मैसर्स जैन एन्टरप्राइजेज सबील शाह की चौकी
कोटा रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री निहाल चन्द
जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया
एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुकेश कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक
होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
दुकान में कन्फैक्शनरी, बिस्कट, मसाले, नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ कागज के
कार्टून में 140 नग मूल पैक प्रत्येक नग 100-100 ग्राम के प्रोपरायटरी फूड मिक्स स्पाईसेस
गरम मसाला वन्डर ब्राण्ड रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के
तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री मुकेश
कुमार जैन को फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों
में विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर



.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह प्रोपरायटरी फूड मिक्स स्पाईसेस गरम मसाला वन्डर ब्राण्ड जिसके बैच नम्बर 22003 एवं पैकिंग की दिनांक 01.02.2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 100-100 ग्राम के 20 नग मूल पैक कुल 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा प्रोपरायटरी फूड मिक्स स्पाईसेस गरम मसाला वन्डर ब्राण्ड 100-100 ग्राम के 20 नग मूल पैक ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड को लेकर, 20 नग मूल पैक में से 100-100 ग्राम के 5-5 नग के नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3126 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3126 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र श्री निहाल चन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स जे.पी. फूड्स सी-184 रोड नं0 9 वीकेआई एरिया जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/983 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./1296/एक्ट/2022/1363 दिनांक 08.04.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया। प्रोपरायटरी फूड मिक्स स्पाईसेस गरम मसाला वन्डर ब्राण्ड एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zx) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य



सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसमें नमक की मात्रा मानक स्तर से कुछ अधिक होने के कारण उक्त नमूना अवमानक स्तर का होना पाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस प्रोपरायटरी फूड मिक्स स्पाईसेस गरम मसाला वन्डर ब्राण्ड का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया प्रोपरायटरी फूड मिक्स स्पाईसेस गरम मसाला वन्डर ब्राण्ड का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.06.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 20.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सरोज चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0